



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 श्रावण 1939 (श10)
(सं0 पटना 731) पटना, मंगलवार, 22 अगस्त 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

22 अगस्त 2017

अधिसूचना सं0-23/2017- राज्य कर (दर)

एस०ओ० 137 दिनांक 22 अगस्त 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं0-17/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में उपवाक्य (ii) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“(iii) हाउस किपिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं जैसे कि पलंबिंग, कारपेंटरिंग आदि, सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-10/2017-3100]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

22 अगस्त 2017

एस०ओ० 138, एस०ओ० 137 दिनांक 22 अगस्त 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-10/2017-3100]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 22nd August 2017**Notification No.23/2017-State Tax (Rate)**

S.O.137 dated 22nd August 2017—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification No.17/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 of the Commercial Taxes Department, namely:-

Amendments

In the said notification, in the first paragraph, after clause (ii) the following clause shall be inserted, namely:-

“(iii) services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering etc, except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the said Bihar Goods and Services Tax Act,2017.”

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd of August, 2017.

[(No. Bikri-kar/GST/Vividh-10/2017-3100)]

By order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

*Commissioner-cum-Principal Secretary**Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण)731-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>